दिनांक 10 व 11 फरवरी, 2016 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- **बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक– 4105/110/तीन/97–VI, दिनांक 05.02.2016** द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी।
- जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) की आनलाईन एम0आई0एस0 फीडिंग हेतु आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से मिशन के अंतर्गत चयनित 82 शहरों हेतु उपलब्ध कराये गये शहर मिशन प्रबन्धकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण एस0यू0एल0एम0 द्वारा लखनऊ में कराया जा चुका है। अतः सभी शहर, शहर मिशन प्रबन्धकों को यूजरआई.डी/पासवर्ड उपलब्ध कराते हुए एम0आई0एस0 आनलाइन फीडिंग कराना सुनिश्चित् करें। यह आनलाइन फीडिंग प्रत्येक माह की 05 तारीख तक फीड करना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही सूडा/समस्त डूडा)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

- आई0एच0एस0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत मूल्यवृद्धि के पश्चात् जिन जनपदों के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये है एवं धनराशि जनपदों को अवमुक्त कर दी गयी है, को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में समस्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दें। यदि जनपद द्वारा कार्यदायी संस्था को समय से धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी तो इसका उत्तरदायित्व जनपद का ही होगा एवं किसी भी प्रकार की पुनः मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराये जाये। धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं कराये जाते है तो इसके लिए कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी। पुनः मूल्यवृद्धि के लिए भी कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।
- सभी जनपदीय प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिन आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनको शीघ्र लभार्थियों को आवंटित करने एवं लाभार्थी अंशदान की धनराशि कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय।
- जनपद गाजीपुर, मिर्जापुर, गाजियाबाद, बलरामपुर के परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपद में जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है। उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर से कार्यवाही किये जाने की निर्देश दिये गये।
- अधिकांश जनपदों जहां कार्य प्रगति पर है, को निर्देशित किया गया कि वे मार्च, 2016 तक कार्य पूर्ण कराकर आवास आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दें।
- जो परियोजनाएं पूर्ण हो गयी है, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों को संबंधित नगरीय निकायों को हस्तान्तरित कर दे व भारत सरकार द्वारा दिये गये कम्पलिशन सार्टिफिकेट को पूर्ण कर जिलाधिकारी व संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए अविलम्ब सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि शीघ्र अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये तथा जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था को ससमय धनराशि अवमुक्त की जाये। यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं कराया जाता है तो इसके लिए जनपद एवं कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगें। संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि उपयोगित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, अद्यतन कुल स्वीकृत 32907 आवासों के सापेक्ष 19058 पर कार्य प्रारम्भ है जिसके सापेक्ष 9576 आवास ही पूर्ण है (जिन पर कुछ कार्य किया जाना शेष है) एवं शेष विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है। इस प्रकार स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रारम्भ आवासों का प्रतिशत 57.91 प्रतिशत है। प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि योजना की विकास एजेण्डा के अंतर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा की जा रही है एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा तत्काल वांछित प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये जा रहे है। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया तत्काल कार्य प्रारम्भ कराते हुये अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय एवं कार्यो में विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

- समस्त परियोजना अधिकारियों एवं सी0एण्डडी0एस0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त बजट उपलब्ध न होने के दृष्टिगत पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण कराने हेतु द्वितीय किस्त एवं अवस्थापना सुविधा की संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत कराने तथा उसके सापेक्ष धनराशि अवमुक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित् की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि धनराशि उपलब्धता के आधार पर फेजवार कार्य प्रारम्भ कराये तथा पहले उसी को पूर्ण करायें।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

निकट भविष्य में विभिन्न जनपदों में पात्र चयनित लाभार्थियों को ई–रिक्शा वितरण किये जाने के सम्बन्धित कार्यक्रम के दृष्टिगत समस्त परियोजना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि चयनित लाभार्थियों की सत्यापरोपरान्त प्राप्त लाभार्थियों की अद्यतन सूची की साफ्ट प्रति (अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति के उल्लेख सहित) एक सप्ताह के अन्दर ई–मेल के माध्यम से सूडा मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि केवल पात्र व्यक्तियों को ई–रिक्शा वितरित किया जाना सुनिश्चित् किया जाये। सम्बन्धित आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0ओ0 से समन्वय कर अग्रेतर कार्यवाही की तैयारी कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी के मेगा काल सेन्टर के लिए पूर्व प्रेषित प्रारूप पर तत्काल सूचना भेजें।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना

- पूर्व वर्षों से संचालित, "रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना" के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अनवरत कड़े निर्देश के बाद भी नहीं दी जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। निदेशक महोदय द्वारा सचेत करते हुए पुनः निर्देशित किया गया कि उक्त कल्याणकारी योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु (पूर्व में एक मुश्त 10 वर्ष हेतु बीमित) लाभार्थियों को जानकारी प्रदान किये जाने के लिए समुचित प्रचार–प्रसार किया जाये। अपेक्षित सूचना जानकारी तत्काल मुख्यालय प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड् एसेस्मेंट्स (USHA)

प्रश्नगत योजना के परिपेक्ष्य में विगत दिनांक 15 एवं 16 अपैल 2015 को सम्पन्न मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 24.04.2015 में यह सुस्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुरूप जिन जनपदों में स्लम प्रोफाइल से सम्बन्धित सुनिश्चित प्रारूप 1 पर सर्वेक्षित सूचना संग्रहित नहीं की गयी है या जहां सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अपूर्ण है उन सभी शहरों में स्लम प्रोफाईल प्रारूप को सम्मिलित करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अन्दर ऑनलाईन डेटाफीडिंग हेतु नांमित संस्था (अप्ट्रान) के प्रतिनिधि को सर्वेक्षण प्रारूप की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाये। यह भी निर्देशित किया गया था कि समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कडी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक से पूर्व एवं इसके पश्चात भी अभिकरण स्तर से सभी जनपदों को सुस्पष्ट निर्देश पृथक से भी निर्गत किये गये। पुनः सचेत किया जाता है कि जिन जनपदों में अवशेष डेटा फीडिंग के फारमेट आन लाइन फीडिंग हेतु हस्तगत नही कराये गये है वे तत्काल हस्तगत करा दें।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए जिन शहरों से निःशुल्क भूमि अप्राप्त है उनको शीघ्र ही भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार करने के पुनः निर्देश दिये गये। कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, को शीघ्रता से पूर्ण करना सुनिश्चित् किया जाये। कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि जहां भूमि प्राप्त हो गयी है वहां की डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार कराकर मुख्यालय को प्रस्तुत करें। बैठक में कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि जिस शहर के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये है तथा धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है किन्तु फिर भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है, में अविलम्ब कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) के अंतर्गत जनपदों के परियोजना अधिकारियों को पुनः अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या–55/2003 संलग्न रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण की सघन मानीटरिंग की जा रही है तथा समय–समय पर आदेश दिये जा रहे है। रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत आश्रय उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। जिन शहरों में अभी तक आश्रय हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं हो पायी है वहां विभिन्न सरकारी विभागों यथा–स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य विभागों को सम्पर्क/समन्वय कर भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित् कराने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित् करते हुय तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

- शहरी पथ विक्रेतोओं को सहायता (Support to Urban Street Vendor(SUSV)) के संबंध में नगर निगम वाले शहरों को पुनः निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विक्रेताओं की **पंजीकृत सूची** तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/स्थानीय निकाय निदेशालय)

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत एन0यू0एल0एम0 के चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि तत्काल बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित् किया जाय। समीक्षा में समूह ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में बैंकों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, उनका शाखावार विवरण मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण हेतु पात्र व्यक्तियों को ही कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित् करें।

- कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अंतर्गत लाभार्थियों के प्रमाणीकरण की कार्यवाही हेतु असेसिंग बॉडी से समन्वय स्थापित कर यथावश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित् किया जाये।

- जिन शहरों को प्रशिक्षण मद में लक्ष्य से अधिक धनराशि पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है, को निर्देशित किया गया कि वे लक्ष्य से अतिरिक्त धनराशि तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। उक्त के अतिरिक्त व्यय धनराशि का विवरण एम0पी0आर0/एम0आई0एस0 में अवश्य दर्शायें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात प्रेषित करें।

- सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि एन0यू0एल0एम0 के अंतर्गत उपघटकवार व्यय की सूचना एम0पी0आर0/एम0आई0एस0 में अवश्य दर्शायी जाये इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014–15 की सी0ए0 ऑडिट रिपोर्ट एक सप्ताह में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही–समस्त डूडा)**

आई0एल0सी0एस0

- योजनान्तर्गत जिन जनपदों ने धनराशि वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है, तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में संबंधित जनपदों को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42–I के प्रारुप "क" एवं "ख" पर गुणवत्ता/विशिष्टियॉ /उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपद मेरठ एवं वाराणसी के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही संबंधित डूडा)

एस0सी0एस0पी0

- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों यथा– इटावा, कुशीनगर, मथुरा, मुजफ्फरनगर एवं वाराणसी के

उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है, संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

उक्त के अतिरिक्त सचिव महोदय द्वारा भी बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये –

- सभी संबंधित अधिकारी आवासों की प्रगति के दृष्टिगत कार्यस्थल का निरीक्षण स्वयं भी करें।
- सभी आवासीय योजनाओं में पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण कराकर उनका आवंटन सुनिश्चित् किया जाये।
- सभी शहर अपने क्षेत्रों में कराये गये कार्यों की प्रगति दर्शाने हेतु एक एलबम तैयार कराकर 15 दिनों में मुख्यालय को प्रेषित करें।
- सभी शहर अभिनव एवं विशेष परियोजनायें तैयार कराकर मुख्यालय को प्रस्तुत करें।
- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 4329/110/तीन/97 **Vol-VII** **दिनांक–** 18/12/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक